न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाडा जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—46/2019 राजस्व वाद

उनवान

1. लाडु पुत्री हीरा जी पत्नी चम्पा लाल जाति गुर्जर, उम्र 49 वर्ष, निवासी मण्डपिया (शक्तावतो का) तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.) हाल निवासी लावडो का खेड़ा, गुरला तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. पानी उर्फ पानुडी पुत्री हीरा जी पत्नी केसु गुर्जर, उम्र 45 वर्ष, निवासी मण्डपिया (शक्तावतो का) तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.) हाल निवासी कौचरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

—वादीगण

बनाम

1. नन्दा पिता हीरा जी जाति गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी मण्डपिया (शक्तावतो का) तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. नारायण पिता हीरा जी जाति गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी मण्डपिया (शक्तावतो का) तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. लादू पिता हीरा जी जाति गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी मण्डपिया (शक्तावतो का) तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. कमला पत्नी राजू जाति गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी मण्डपिया (शक्तावतो का) तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
7. उप पंजीयक महोदय, कारोई कलां तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्तागण —

1. श्री दूधाराम कुमावत :— वादी
2. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय दिनांकः— 20/5/26

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दूधाराम कुमावत द्वारा दिनांक 27.08.2019 को वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को रजिस्टर क्रम संख्या 46/2019 पर दर्ज किया गया तथा विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के पिता व प्रतिवादी संख्या 04 के ससुर के नाम ग्राम मण्डपिया पटवार हल्का मुझरास तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नं. 24, 25, 26, 27. 208/1, 209/1 कुल किता 06 कुल रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा भूमि जमाबंदी सम्वत् 2057—2060 तक में हीरा पिता हजारी गुर्जर के नाम पर दर्ज रिकॉर्ड चली आ रही थी।

20/5/26

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

दिनांक 17.01.2003 को हीरा की मृत्यु हो जाने से विरासत का ना.सं. 206 अमल में लाया गया, जिसमें पटवार हल्का द्वारा हीरा की विरासत के अनुसार वारिसो का सजरा बनाया गया, जिसमें हम वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 व प्रतिवादी संख्या 04 के पति राजू का नाम अंकित कर दिया, जो सजरा सही होकर सत्य है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का परिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:—

हीरा पिता हजारी

नन्दा (पुत्र)	राजु फौत (पुत्र)	नारायण (पुत्र)	लादू (पुत्र)	लाडू (पुत्री)	पानी (पुत्री)
	कमला (पत्नी)				

उक्त नामान्तकरण संख्या 206 ग्राम पंचायत कोचरिया की कौरम के समक्ष वास्ते निर्णय प्रस्तुत किया जिसमें त्रुटिवश हीरा के वैध वारिस जो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 व प्रतिवादी संख्या 04 के पति का नाम संयुक्त रूप से दर्ज होना चाहिए था, परन्तु वादीगण का नाम अंकित होने से रह गया है। इस कारण वादीगण अपना नाम प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 व 04 के साथ संयुक्त रूप से दर्ज कराने के अधिकारी है।

ग्राम पंचायत कोचरिया की कौरम ने बिना नामान्तकरण को पढ़े व गौर किये ही भुलवश से वादीगण का नाम नामान्तकरण में दर्ज होने के बावजूद भी अपनी रिपोर्ट में अंकित नहीं कर केवल हीरा के पुत्र वारिस प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 व प्रतिवादी संख्या 04 के पति के नाम पर नामान्तरण खोल दिया जिससे जमाबंदी रोटेशन में वादीगण के नाम अंकित नहीं होने से अपने हक व हिस्से से महरूम हो गये। इस कारण वादीगण हीरा की विरासत में अपने हक व हिस्से की घोषणा करा तद्नुसार दूरूस्ती करवाने के अधिकारी है।

वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। इसी कम में वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि पर दिनांक 06.08.2019 को काश्त करने गई तो प्रतिवादीगण ने हमे हमारे हक हिस्से की भूमि पर काश्त करने से मना कर दिया और धमकी दी कि उक्त भूमि में तुम्हारा कोई हक हिस्सा नहीं है और न ही तुम्हारा नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं और आज के बाद उक्त भूमि पर पैर मत रखना। उक्त तुम्हारे हक हिस्से की भूमि को बेचकर खुर्द बुर्द कर देगे। जिसके उपरान्त वादीगण राजस्व कर्मचारी से मिलकर हमारे खाते का राजस्व रिकॉर्ड प्राप्त किया तब उक्त तथ्य की जानकारी हुई कि हमारा नाम हमारे पिता की विरासत में दर्ज नहीं है। जिस कारण वादीगण को यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न हुई है।

उक्त प्रकरण में नन्दा पिता हिरा गुर्जर का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 05 के यहाँ रहन होने से पक्षकार कायम किया है।

प्रस्तुत वाद घोषणा एवं इन्द्राज दूरूस्ती का है, जिसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार व उप पंजीयक भी आवश्यक पक्षकार है, जिनके विरूद्ध कोई वाद प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह की अवधि का नोटिस दिया जाना आवश्यक है, परन्तु उक्त प्रकरण आवश्यक प्रकृति का होने से इनके विरूद्ध अगर दो माह की अवधि का इंतजार किया जायेगा तो प्रतिवादीगण वादीगण की हक हिस्से की भूमि बेचकर खुर्द–बुर्द कर देंगे और वादीगण को अपनी आराजियात में निहित हक हिस्से से महरूम कर देगे। इस कारण बिना नोटिस दिये ही यह वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसकी स्वीकृति के लिए अलग से धारा 80 (2) सि.प्र.सं. का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत है।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादीगण को विरुद्ध प्रतिवादीगण बिनाय याद कारण दिनांक 06.08.2019 को अपने हक हिस्से की भूमि काश्त करने से मना कर देने व हक हिस्से की भूमि को बेचकर खुर्द–बुर्द करने की धमकी देने से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

उक्त वादपत्र घोषणा, इन्द्राज दूरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है, जिसकी सुनवाई का श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान् को होने से तथा वादग्रस्त आराजियात ग्राम मण्डपिया (शक्तावतो का) पटवार हल्का मुझरास तहसील व जिला भीलवाड़ा का है, जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान् को होने से श्रीमान् के समक्ष पेश है।

अतः सादर प्रार्थना है कि वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 के विरुद्ध इस आशय की घोषणा एवं इन्द्राज दूरुस्ती की डिकी पारित की जावे कि ग्राम मण्डपिया (शक्तावतो का) पटवार हल्का मुझरास तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नं. 24, 25, 26, 27, 208/1, 209/1 कुल किता 06 कुल रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 का संयुक्त रूप से प्रत्येक का 1/6, 1/6 हक हिस्सा घोषित कर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दूरुस्ती प्रदान की जावे।

वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी सादिर फरमायी जावे कि वादीगण के हक हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की रूकावट व बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करें न किसी अन्य से करावें।

वादिया का वादपत्र दिनांक 27.08.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण के सम्मन जारी किए गए। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 07 के सम्मन नोटिस बाद तामील दिनांक 17.09.2019 को प्राप्त हुए। प्रतिवादीगण के बाद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 के विरुद्ध दिनांक 17.09.2019 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली वादी साक्ष्य हेतु नियत की गई।

प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाहीं किये जाने से वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में चाहे गये अनुतोष के आधार पर वादपत्र का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के अनुतोषों के आधार पर तनकीयात निम्नानुसार कायम की जाती हैः–

1. आया कि वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 के विरुद्ध इस आशय की घोषणा एवं इन्द्राज दूरुस्ती की डिकी पारित की जावे कि ग्राम मण्डपिया (शक्तावतो का) पटवार हल्का मुझरास तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नं. 24, 25, 26, 27, 208/1, 209/1 कुल किता 06 कुल रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 का संयुक्त रूप से प्रत्येक का 1/6, 1/6 हक हिस्सा घोषित कर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दूरुस्ती प्रदान की जावे।

जिम्मे वादी

2. आया कि वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी सादिर फरमायी जावे कि वादीगण के हक हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की रूकावट व बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करें न किसी अन्य से करावें।

जिम्मे वादी

3. दादरसी

वादीगण अधिवक्ता द्वारा दिनांक 18.03.2021 को साक्ष्य हेतु शपथपत्र श्रीमती लाडू गुर्जर PW-1, एवं श्रीमती पानी उर्फ पानुड़ी गुर्जर PW-2 पेश किये। गवाह वादीगण के बयान कलमबद्ध किये गये।

वादी द्वारा निम्न दस्तावेजात प्रदर्श कराये गयेः–

1. विरासत का नामान्तरकरण 206 प्रदर्श–1
2. जमाबन्दी ग्राम मण्डपिया की सम्वत् 2057 से 2060 प्रदर्श–2
3. जमाबन्दी 2061 से 2064 प्रदर्श–3
4. जमाबन्दी 2069–2072 प्रदर्श–4

20/5/26
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

गवाह वादीगण संख्या 02 श्रीमती पानी उर्फ पानुड़ी पुत्री हीरा पत्नी केसु गुर्जर साक्ष्य में पेश शपथपत्र दिनांक 18.03.2021 पर अपने हस्ताक्षर होकर स्वीकार किया। गवाह अपनी साक्ष्य में वादीगण अब कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है। अतः वादीगण साक्ष्य दिनांक 30.07.2021 को बन्द की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का गुणावगुण पर निस्तारण किये जाने हेतु तनकीवार निर्णय किया जाना न्यायोचित है :–

तनकी संख्या 1 – आया कि वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 के विरुद्ध इस आशय की घोषणा एवं इन्द्राज दूरुस्ती की डिकी पारित की जावे कि ग्राम मण्डपिया (शक्तावतो का) पटवार हल्का मुझरास तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नं. 24, 25, 26, 27, 208/1, 209/1 कुल किता 06 कुल रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 का संयुक्त रूप से प्रत्येक का 1/6, 1/6 हक हिस्सा घोषित कर तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में दूरूस्ती प्रदान की जावे।

जिम्मे वादी

वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि ग्राम मण्डपिया पटवार हल्का मुझरास तह0 एवं जिला भीलवाड़ा में स्थित वादग्रस्त भूमि आराजी संख्या 24, 25, 26, 27, 208/1, 209/1 कुल किता 6 कुल रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2057–60 तक में हीरा पिता हजारी गुर्जर के नाम पर दर्ज रिकॉर्ड चली आ रही थी। दिनांक 17.01.2003 को हीरा की मृत्यु हो जाने से विरासत का नामान्तकरण संख्या 206 अमल में लाया गया, जिसमें पटवार हल्का द्वारा हीरा की विरासत के अनुसार वारिसों का सजरा बनाया गया, जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व प्रतिवादी संख्या 4 के पति राजू का नाम अंकित कर दिया, जो सजरा सही होकर सत्य है। उक्त नामान्तकरण संख्या 206 ग्राम पंचायत कोचरिया की कौरम मे समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें त्रुटिवंश हीरा के वैध वारिस जो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व प्रतिवादी संख्या 4 के पति का नाम ही संयुक्त रूप से दर्ज होना चाहिए था, परन्तु वादीगण का नाम अंकित होने से रह गया। ग्राम पंचायत कोचरिया की त्रुटिवंश वादीगण का नाम नामान्तकरण में दर्ज होने के बावजूद भी हीरा के पुत्र वारिस के नाम पर नामान्तरण खोल दिया जिससे जमाबन्दी रोटेशन में वादीगण के नाम अंकित नहीं होने से अपने हक व हिस्से से महरूम हो गये। इस कारण वादीगण हीरा की विरासत में अपने हक व हिस्से की घोषणा करा तद्नुसार दुरूस्ती करवाने के अधिकारी है।

वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस एवं वादी द्वारा वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी संवत् 2057–60, नामान्तकरण संख्या 206 की प्रमाणित प्रति से यह स्पष्ट होता है कि वादीगण हीरा की प्रथम श्रेणी की वारिस होकर हीरा पिता हजारी की विरासत में अपने हक हिस्से की घोषणा करा तद्नुसार दुरूस्ती करवाने की प्रथम दृष्टया अधिकारी है। अतः तनकी संख्या 01 वादी अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है।

1. **तनकी संख्या 2 – आया कि वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी सादिर फरमायी जावे कि वादीगण के हक हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की रूकावट व बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करें न किसी अन्य से करावें।**

जिम्मे वादी

वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। दिनांक 06.08.2019 को वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि पर काश्त करने गये तो प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि उक्त भूमि में वादीगण का कोई हक हिस्सा नहीं है और न ही वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रतिवादीगण वादीगण के हक हिस्से की भूमि को बेचकर खुर्द–बुर्द कर देगे। जिसके उपरान्त वादीगण राजस्व कर्मचारी से मिलकर वादीगण के खाते का राजस्व रिकॉर्ड प्राप्त किया तब उक्त तथ्य की जानकारी हुई कि वादीगण का नाम उनके पिता की विरासत में दर्ज नहीं है। जिससे वादीगण को बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा का वाद चाहा गया है।

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि वादीगण हीरा पिता हजारी की प्रथम श्रेणी की वारिस होकर वादग्रस्त भूमि में अपने हक हिस्से अनुसार काश्त करने की अधिकारी है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 के द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का कोई जवाब पेश नहीं दिये जाने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में चाहे गये अनुतोष का बिन्दु संख्या 02 वादी के पक्ष में निर्णित किया जाना प्रथम दृष्टया न्यायोचित प्रतीत होता है, क्योंकि वादी स्वयं की पैतृक एवं कब्जे काश्त की भूमि में दीगर व्यक्तियों के द्वारा उनकी कृषि आराजियात को नुकसान पहुंचाने की हद तक स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी है। अतः वादी तनकी संख्या 02 अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार तनकी संख्या 01 एवं तनकी संख्या 02 का अनुतोष वादी अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना और प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना प्रथम दृष्टया न्यायोचित प्रतीत होता है। अतएवं

—: आदेश :—

वादीगण का दावा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एवं घोषणा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम मण्डपिया पटवार हल्का मुझरास तह0 एवं जिला भीलवाड़ा में स्थित वादग्रस्त भूमि आराजी संख्या 24, 25, 26, 27, 208/1, 209/1 कुल किता 6 कुल रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा भूमि में वादीगण प्रत्येक को 1/6 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण का हक हिस्सा तदनुसार कम किया जाकर प्रतिवादीगण प्रत्येक को 1/6 हक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे तथा वादीगण प्रत्येक के 1/6 हक हिस्से एवं कब्जे काश्त की भूमि में दखलदांजी नहीं करने, खुर्द–बुर्द, अन्तरित व भारित नहीं करने हेतु प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। पक्षकारान् अपना–अपना खर्चा वहन करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नम्बर से कम हो।

20/4/26

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा